



## कार्यालयः प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड, राँची

वन भवन, लोरण्डा, राँची-८३४००२, Phone-०६५१-२४८१९०९ (O) / २४८०४१३ (F), e-mail-pccfjharkhand@yahoo.co.in

पत्रांकः ५B/Budget-NP/sanct-12/2015-16 १०९९

दिनांकः २५.३.१६

प्रेषकः बी०सी० निगम, भा०व०से०,  
प्रधान मुख्य वन संरक्षक,  
झारखण्ड, राँची।

सेवा में,

प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन्य प्राणी एवं मुख्य वन्य प्राणी, प्रतिपालक  
झारखण्ड, राँची।

विषयः वर्तमान वित्तीय वर्ष 2015-16 में गैर-योजना व्यय (विस्तृत), मांग संख्या-१९, मुख्य शीर्ष-२४०६-वानिकी तथा वन्य प्राणी के अधीन "०२- पर्यावरणीय वानिकी तथा वन्य जीवन, ११०-वन्य जीव परिरक्षण, "०१-अभ्यारण्य" उपशीर्ष में राशि की अतिरिक्त आवंटन के संबंध में।

प्रसंगः— वित्त विभाग, झारखण्ड सरकार का पत्रांक-२९ / बी०टी०ई०-१८/२०१४-१५ /३००/बजट राँची, दिनांक 30.03.2015 एवं वन एवं पर्यावरण विभाग, झारखण्ड सरकार का पत्रांक -७ /यो०ब०-२४/२०१५-२०२६ व०४०, राँची, दिनांक 17.04.2015, योजना-सह-वित्त विभाग, झारखण्ड सरकार का पत्रांक-२९/बी०टी०/०४/२०१५-१६/७९६/ बजट, राँची दिनांक-२२.१२.२०१५, वन एवं पर्यावरण विभाग, झारखण्ड सरकार, राँची का पत्रांक-४ /गै०यो०ब०-०५/२०१६- १४९९, दिनांक 15.०३.२०१६।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासादिक पत्र से राशि व्यय करने की प्राप्त अनुमति के आलोक में ०१-अभ्यारण्य उपशीर्ष के ४२-मोटर गाड़ी इकाई में 1.200 लाख रु की अतिरिक्त आवंटन दी जाती है।

1. यह आवंटन वित्त विभाग, झारखण्ड सरकार राँची के पत्रांक-२९ / बी०टी०ई०-१८/२०१४-१५ /३००/बजट राँची, दिनांक 30.03.2015 एवं वन एवं पर्यावरण विभाग, झारखण्ड सरकार का पत्रांक-७ /यो०ब०-२४/२०१५-२०२६ व०४०, राँची, दिनांक 17.04.2015, योजना-सह-वित्त विभाग, झारखण्ड सरकार का पत्रांक-२९/बी०टी०/०४/२०१५-१६/७९६/ बजट, राँची दिनांक-२२.१२.२०१५, वन एवं पर्यावरण विभाग, झारखण्ड सरकार, राँची का पत्रांक-४ /गै०यो०ब०-०५/२०१६- १४९९, दिनांक 15.०३.२०१६, तथा बिहार सरकार, वित्त विभागीय ज्ञाप संख्या-एम०-४-०५/९८ २५६१/वि० (२) दिनांक 17.०४.१९९८ के आलोक में किया जाता है।
2. रोकड़ प्रवाह (कैश फ्लो) के संबंध में वित्त विभागीय पत्रांक वित्त ४-२३/२००३/ १८०० दिनांक 15.०७.२००३ का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।
3. आवंटन पत्र में अंकित विपत्र कोड के अनुसार ही लेखा संधारण किया जाय।
4. यह आवंटन वन प्रमंडल पदाधिकारी, वन्य प्राणी प्रमंडल, राँची को तीन सरकारी गाड़ियों के अत्यावश्यक मरम्मति हेतु दी जा रही है जिसकी सूची इस पत्र के साथ संलग्न की जा रही है।

आवंटन आदेश पत्र संख्या— PWLEFW/01-15-16/12EFW की मूल प्रति अत्र-सह-संलग्न है।

विश्वासभाजन,

ह०/-

प्रधान मुख्य वन संरक्षक,  
झारखण्ड, राँची

ज्ञापांक— 1099

दिनांक— २५.३.१६

प्रतिलिपि:- Envis Centre, Ranchi को आज ही विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

प्रधान मुख्य वन सरकार,  
इ.आरखंड, राँची।

आवंटन आदेशझारखण्ड सरकार

## Forest, Environment and Climate Change Department

यात्रा वित्तीय वर्ष 2015-16 में व्यय हेतु निम्नांकित दर्शीए गए बजट शीर्ष के सम्में अंकित राशि आवंटित होती है।

पत्र संख्या - PWLEFW/01-15-16/12EFW

दिनांक -

28-Mar

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं।	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
1	N 19 240602110010442 2406 - वानिकी नथा बन्ध प्राणी 02 - पर्यावरणीय वानिकी नथा बन्ध जीव 110 - बन्ध जीव परिवर्ष 01 - अभ्यारण्य 04 - मोटरगाड़ियाँ / ईंधन 42 - मोटरगाड़ी ईंधन एवं मरम्मनि	115723	DRNFWL076 PRADEEP KUMAR .IFS. PCCF.WILD LIFE & WL.WARDEN JHA	120,000.00 रुपये एक लाख बीस हजार



क्र. योग:

रुपये एक लाख बीस हजार

120,000.00

(B.C. NICAM)

PCCF, JHARKHAND, RANCHI

Principal Chief Conservator of Forests, Jharkhand

Jharkhand, Ranchi